अनवान अनमोल बनाम शिवराज व अन्य
वाद मुकदमा नं. 58/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 58/2025

अन्तर्गत धारा 53, 188, राज. काश्तकारी अधिनियम

अनमोल पुत्र श्री शिवराज सिंह आयु 19 वर्ष जाति कुम्हार निवासी कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

....वादी

1. शिवराज सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह आयु 52 वर्ष जाति कुम्हार निवासी कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. प्रेमपाल पुत्री श्री शिवराज सिंह आयु 30 वर्ष जाति कुम्हार निवासी कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. प्रियन्का पुत्री श्री शिवराज सिंह आयु 24 वर्ष जाति कुम्हार निवासी कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. श्रीमती माया पत्नी श्री शिवराज सिंह आयु 52 वर्ष जाति कुम्हार निवासी कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	वादी
अधिवक्ता रोबिन गुम्बर	प्रतिवादी 1 ता 4
पैरोकार राज	(प्रति.–5)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 25.04.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी की बहिनें तथा प्रतिवादी संख्या 4 वादी की माता हैं। वादी के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 4 डी छोटी पटवार हल्का साधूवाली भू अनि हल्का चक महाराज का तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 93/57 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2070–2073) का मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 4.731 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा इसी चक 4 डी छोटी के खाता संख्या 94/71 के मुरब्बा नम्बर 11 की 0.257 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 2 डी छोटी के खाता संख्या 103/73 के मुरब्बा नम्बर 12 की 0.633 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा खाता संख्या 104/22 की 2.585 है० कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी को अपने पूर्वजों से प्राप्तशुदा पैतृक सम्पत्ति है । हिन्दू विधि के अनुसार संतान का अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म लेते ही हक पैदा हो जाता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक वा हिस्सा बनता है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति है तथा उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी सं. 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का वादी के साथ घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी को चक 4 डी छोटी पटवार हल्का साधूवाली भू अनि हल्का चक महाराज का तहसील व

जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 93/57(मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2070–2073) का मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 4.731 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा इसी चक 4 डी छोटी के खाता संख्या 94/71 के मुरब्बा नम्बर 11 की 0.257 हैक्टेयर कृषि भूमि घरू बंटवारा में दी हुई है। उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादी अपने हिस्सा में आई हुई कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा हैं । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, तुम्हारे हिस्सा की कृषि भूमि तुम्हारे नाम करवा दूंगा। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने अपने हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में करने का कहा हुआ है। इसी विश्वास पर वादी ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादी पढ़ा लिखा व अग्रणी काश्तकार हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज ना होने के कारण वादी सभी सुविधाओं से वंचित रहता हैं। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि वह वादी के हिस्सा की कृषि भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.04.2025 को प्रतिवादीगण ने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है । प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र वादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

1. यह कि घोषणात्मक डिक्री पारित की जाकर के वाके चक 4 डी छोटी के खाता संख्या 93/57 का मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 4.731 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 2.3655 है0 भूमि तथा इसी चक 4 डी छोटी के खाता संख्या 94/71 के मुरब्बा नम्बर 11 की 0.257 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि कुल 2.6225 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, का वादी अनमोल पुत्र श्री शिवराज सिंह जाति कुम्हार निवासी कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जावे।
2. खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
3. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उपरोक्त अनवान के वाद में प्रथम पक्ष वादी एवं द्वितीय पक्ष प्रतिवादीगण का पंचायत के मौजूज व्यक्तियों ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा करवा दिया है। अतः वाके चक 4 डी छोटी के खाता संख्या 93/57 का मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 4.731 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 2.3655 है0 भूमि तथा इसी चक 4 डी छोटी के खाता संख्या 94/71 के मुरब्बा नम्बर 11 की 0.257 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि कुल 2.6225 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, का वादी अनमोल पुत्र श्री शिवराज सिंह जाति कुम्हार निवासी कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जावे। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 वादग्रस्त भूमि में से कोई हक वा हिस्सा लेना नहीं चाहती हैं तथा अपने हक वा हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में करती हैं। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष अनुवार वाद डिक्री किया जावे। इसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण पूर्णतया

Scanned with CamScanner

सहमत है। यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपनी स्वयं की इच्छानुसार, बिना किसी नशा पता तथा बिना किसी दबाव के अपने पूर्ण होशोहवास में सुन व समझ कर टंकित करवाया है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2070–2073 ग्राम 4 डी छोटी, पटवार क्षेत्र साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र चक महाराजका खाता संख्या 93/57, जमाबंदी सम्वत्–2070–2073 ग्राम 4 डी छोटी, पटवार क्षेत्र साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र चक महाराजका खाता संख्या 94/71, जमाबंदी सम्वत्–2072–2075 ग्राम 2 डी छोटी, पटवार क्षेत्र साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र चक महाराजका खाता संख्या 103/73, जमाबंदी सम्वत्–2072–2075 ग्राम 2 डी छोटी, पटवार क्षेत्र साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र चक महाराजका खाता संख्या 104/22 की प्रतियां पेश की गई। भूमि के विरास्त साक्ष्य बाबत चक 4 डी छोटी, पटवार हल्का साधुवाली, भू.अ.नि. गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खात संख्या 89 की प्रति पेश की गई। वकील वादी एवम् वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा बहस में वाद को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद में संयोजित पक्षकारान के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस शेष नहीं है, समस्त पक्षकार हाजिर हैं। वाद में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई अन्य वाद विचाराधनी नहीं है। मौका पर वादी का कब्जा है एवम् भूमि पर किसी का कोई बकाया नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178

आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 शिवराज सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि चक 4 डी छोटी के खाता संख्या 93/57 का मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 4.731 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 2.3655 है0 भूमि तथा इसी चक 4 डी छोटी के खाता संख्या 94/71 के

(राजस्व)

Scanned with CamScanner

मुरब्बा नम्बर 11 की 0.257 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि कुल 2.6225 हैक्टेयर नहरी मय खाला का वादी अनमोल पुत्र श्री शिवराज सिंह जाति कुम्हार निवासी कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 25.04.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner